छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

Type your text

Type your text

(3)

(3)

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 28-04-2012

कमांक एफ 4–11/2012/16:– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना 2012" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकारों को प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता:–

(i) यह योजना असंगठित महिला कर्मकार जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है एवं किसी नियोजक के यहां कार्यरत है अथवा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन–यापन करते हैं एवं प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु समूह।

(iii) मंडल द्वारा लागू सायकल सहायता योजना तथा राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा लागू किये गये किसी अन्य योजनांतर्गत सिलाई मशीन हेतु सहायता/लाभ न प्राप्त किया हो।

(iv) जो कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेगा वह सिलाई मशीन सहायता योजनां अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होगें।

(v) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

D:\Domestic h spotte\aadesh.doc632

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(इ) विसंगति का निराकरण :-

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
रायपुर दिनांक 28.05.2012

पृष्ठांकन क0 एफ 4-11/2012/16,

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
7. कलेक्टर, जिला ....(छ.ग.)
8. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..(छ.ग.)
10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ...(छ.ग.)
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर प्रेषित